अधिसूचना

(इलायची नियंत्रण)

इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987

सा. का. नि. 116(अ) :—केन्द्रीय सरकार, गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से गर्म मसाला बोर्ड, 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) "नीलामकर्ता" से इलायची के नीलामों के संचालन के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) व्यौहारी से इलायची के क्रय और विक्रय के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है परन्तु इसके अन्तर्गत नीलामकर्ता या निर्यातकर्ता नहीं है ;

(घ) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है।

(ङ) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि अभिप्रेत है और इसमें कम्पनी, फर्म सोसायटी और कोई अन्य संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है।

3. इलायची का कारबार चलाने के लिए शर्तें :—

(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबन्धनों और इलायची उद्योग विकास बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन या उनके अनुसरण में इलायची के नीलामकर्ता या व्यौहारी, के रूप में कारबार करेगा अन्यथा नहीं।

(2) इलायची का कोई उत्पादक, अपनी उपज, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त नीलामकर्ता के माध्यम के अन्यथा या उत्पादकों से इलायची क्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी व्यौहारी से भिन्न, किसी को विक्रय नहीं करेगा :

परन्तु, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि उपजकर्ताओं को लाभप्रद प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सारी इलायची को निलामों के माध्यम से निकालना आवश्यक है, तो बोर्ड उत्पादकों से अपेक्षा कर सकता है कि वे अपनी उपज, उपर्युक्त नीलामों के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यौहारियों को विक्रय करें।

4. इलायची का कारबार करने के लिए व्यक्तियों का अनुज्ञापन :

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भी वर्ष नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में कारबार करने की वांछा करे, बोर्ड को प्रारूप "क" में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की वांछा करता है, वहां पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई नीलामकर्ता एक से अधिक केन्द्र में नीलाम का संचालन करने की वांछा करता है, तो प्रत्येक केन्द्र के लिए नीलामकर्ता के लिए पृथक अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ गर्म मसाला बोर्ड, कोचिन के पक्ष में संदेय 100/- रु. की फीस क्रास मांग देय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा दी जाएगी।

(3) यदि बोर्ड का आवेदक की उपयुक्तता की बाबत समाधान हो जाता है तो वह उसे प्ररूप "ख" में अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है।

5. अनुज्ञप्तियों का नवीकरण :

(1) नीलामकर्ता के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति है, प्ररूप "क" में नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीती से, अपना आवेदन फीस के साथ, बोर्ड को इस प्रकार भेजेगा कि वह बोर्ड के पास जिस वर्ष में अनुज्ञप्ति समाप्त हो रही हो उससे पूर्ववर्ती वर्ष में 30 जून को या उससे पूर्व पहुंच जाए :

परन्तु बोर्ड, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तक ले सकता है, यदि विलम्ब के प्रति मास या उसके भाग के लिए 25 रु. की अतिरिक्त फीस का संदाय किया जाता है।

6. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता :

अनुज्ञप्ति, सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। परन्तु बोर्ड, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाए, अल्पतर अवधि के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है।

7. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण :

(1) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए साधारण या विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन किया है या कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अनुज्ञप्ति कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया है, तो वह किसी अन्य विधि के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, एक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्ति धारी को भेजी जाएगी।

8. अपील (1) बोर्ड के किसी ऐसे आदेश से, जिसके द्वारा किसी अनुज्ञप्ति को जारी या नवीकृत करने से इन्कार किया गया हो या किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहृत किया गया हो, व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश किए जाने के साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे :

9. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, समय समय पर, ऐसे रजिस्टर और विवरणियां बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा जो उन शर्तों के अधीन जिनके अनुसार अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं, अपेक्षित है।

[सं. 712/86-ई पी (एग्री-5)]

बी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

प्ररूप "क"

[नियम 4(1) और 5(5) देखिये]

नीलामकर्त्ता/व्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

(1)(क) आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में)

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी/सोसाइटी/संगम)

(ख) नवीन या नवीकरण, यदि नवीकरण है, तो पूर्ववर्ती वर्ष की अनुज्ञप्ति संख्यांक दीजिए ।

(ग) भेजी गई फीस के ब्यौरे ।

(2)(क) पूरा पता (प्रधान कार्यालय और शाखाओं के यदि, कोई हों, पते दिए जाने चाहिए)

(ख) तार, टेलेक्स, टेलीफोन, यदि कोई हों ।

(3) भण्डार-स्थान का पूरा पता ।

(4) कारबार की प्रकृति (नीलामकर्त्ता/व्यौहारी)

(5) फर्म/कंपनी/सोसाइटी/संगम के स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों के पूरे नाम और स्थायी पते ।

(6) विनिधान की गई पूंजी/वित्तीय ख्याति

(7) वर्ष जिसके दौरान आवेदक के पास बोर्ड की अनुज्ञप्ति थी ।

(8) निम्नलिखित जानकारी (प्रत्येक मामले को लागू की जाएगी) :—

नीलामकर्त्ता

(i) नीलाम का स्थान ।

(ii) नीलाम का दिन/समय और आवृत्ति

(iii) उपजकर्त्ताओं और नीलाम में सफल बोली बोलने वालों को दिए गए कोई वित्तीय सौकर्य, यदि कोई हो ।

(iv) भण्डारण सुविधाएं/गोदाम की अवस्थिति ।

(v) नीलामघर की अवस्थिति ।

(vi) इलायची के श्रेणीकरण के लिए सुविधाएं, यदि कोई हों ।

(vii) तीन, पूर्ववर्ती अनुज्ञापन वर्षों के दौरान, नीलाम की गई इलायची की मात्रा और उसका मूल्य (सितम्बर-अगस्त)

वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	मात्रा (कि.ग्रा.)
19	19......
19 ...	19... .
19 ...	19 . ..

व्यौहारी

(1) इलायची के क्रय का स्रोत (रोपक से या नीलाम में)

(2) भण्डारण सुविधाएं ।

(3) क्या इलायची को भण्डारण के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए धूमन किया गया है ?

(4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी एक संव्यवहार अधिकतम और न्यूनतम क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और उसका मूल्य ।

(5) पूर्ववर्ती तीन अनुज्ञप्ति वर्षों में क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और मूल्य ।

वर्ष	क्रय		विक्रय	
सितम्बर-अगस्त	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)
19. . 19...				
19... 19...				
19... 19...				

घोषणा

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं/हम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन करने के बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करूंगा/करेंगे।

स्थान :

(आवेदक या आवेदकों के हस्ताक्षर)

तारीख :

टिप्पणी : (1) किसी भी व्यक्ति को अपने कारबार के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए जैसे नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में अलग-अलग आवेदन करना होगा ।

(2) जिन आवेदनों के साथ विहित फीस संलग्न नहीं है उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

प्ररूप ख

[नियम 4(3) देखें]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति

(अनन्तरणीय)

अनुज्ञप्ति सं.---------

श्रीमती / श्री / मेसर्स --को नीलामकर्ता के रूप में ---------------------------------में इलायची का कारबार करने के लिए, इसके नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुज्ञप्ति 19 के अगस्त के इकतीसवें दिन तक विधिमान्य है।

स्थान : मुद्रा सचिव के हस्ताक्षर.

(1) नीलामकर्ता उस स्थान, उस दिन और उस समय पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नीलाम करेगा।

(2) नीलामकर्ता विक्रय के लिए प्रस्तावित इलायची के प्रत्येक ढेर में से 500 ग्राम इलायची नमूने के रूप में निकालेगा उसमें से 350 ग्राम इलायची नीलाम प्रारम्भ होने से चार घंटे पहले नीलाम स्थल पर, बोली लगाने वालों की जांच के लिए प्रदर्शित करेगा तथा एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें प्रत्येक ढेर की मात्रा प्रत्येक ढेर के ग्रामों में वजन और आरक्षित कीमत का उल्लेख होगा। सूची की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी। नमूने में की 100 ग्राम इलायची सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी जाएगी और शेष 50 ग्राम किसी विवाद की दशा में, सत्यापन के लिए मुहरबन्द पोलिथीन के थैले में, सात दिन तक रखी जाएगी। यथास्थिति, उक्त अवधि की समाप्ति पर या विवाद के समझौता हो जाने पर, इलायची का स्वामी, नीलामकर्ता द्वारा नमूने के रूप में निकाली गयी इलायची में से शेष इलायची वापस लेने के लिए हकदार होगा।

2(क) नीलामकर्ता, अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में, विक्रय कीमत का एक प्रतिशत कमीशन से अधिक का प्रभार नहीं लेगा।

(ख) नीलामकर्ता, स्वामियों से जो अपनी इलायची नीलाम के लिए लाते हैं, उसे देय एक प्रतिशत कमीशन से अधिक कोई बट्टा या नकद या वस्तुरूप में संदाय/अपने लिए या क्रेता की ओर से नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा। नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामी को, नीलाम में विक्रय की गई इलायची की संपूर्ण मात्रा का मूल्य प्राप्त हो।

(3) नीलामकर्ता प्ररूप "ग" में एक रजिस्टर रखेगा।

(4) नीलामकर्ता, नीलाम की तारीख से सात दिन के भीतर प्ररूप "ग" में रखे गए रजिस्टर का उद्धरण, बोर्ड को भेजेगा।

(5) नीलामकर्ता, नीलाम से अगले दिन नीलाम की एक अग्रिम रिपोर्ट प्ररूप "घ" में भेजेगा।

(6) नीलामकर्ता किसी ऐसी एस्टेट के स्वामी से जिसने अपनी एस्टेट रजिस्ट्रीकृत न कराई हो या किसी ऐसे व्यवहारी से जो बोर्ड से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, इलायची के विक्रय के लिए बातचीत नहीं करेगा।

(7) जहां कोई नीलामकर्ता अपने कारबार को किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां अन्तरिती, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1986 के अधीन नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुई समझी जाएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करे तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक उसके लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा।

(9) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, नीलामकर्ता के रूप में अपने कारबार के सम्बंध में, उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों अन्य अभिलेखों को बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए पेश करेगा।

(10) नीलामकर्ता प्रत्येक नीलाम की बाबत नीलाम की तारीख से 14 दिन के भीतर बोली लगाने वालों से शोध्य संदाय को वसूल करेगा और उन्हें नीलाम की तारीख से 21 दिन के भीतर उगाने वालों को संदाय करेगा। उगाने वालों और व्यापारियों से शोध्यों की बाबत जानकारी प्रत्येक नीलाम की बाबत बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(11) नीलाम कर्ता उगाने वालों द्वारा और अदावाकृत रकम को बैंक के पृथक खाते में रखेगा और प्रत्येक नीलाम की बाबत ब्यौरे बोर्ड को सूचित करेगा। असमाधान कारणों के बिना अनुबंधित अवधि के भीतर उगाने वालों को शोध्यों का संदाय न किया जाना (इलायची अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम 1987 का अतिक्रमण है।

व्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति

(अनन्तरणीय)

अनुज्ञप्ति सं.

श्रीमती/श्री/मैसर्स---नीलाम—में/
उत्पादकों से प्रत्यक्ष इलायची का क्रय करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया जाता है।

यह अनुज्ञप्ति 19---------के अगस्त के इकत्तीसवें दिन तक विधिमान्य है।

1. ---------------------

सचिव के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख

मुद्रा

शर्तें :

(1) व्यौहारी, किसी ऐसी संपदा के स्वामी से जिसने अपनी संपदा का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया हो या ऐसे नीलामकर्ता से जिसे बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति न दी गई हो, इलायची का क्रय नहीं करेगा।

(2) कोई व्यौहारी, इलायची उत्पादकों या नीलामकर्ताओं से नकद या वस्तु रूप में, चाहे वह बट्टे के रूप में हो या कमीशन के रूप में, न तो किसी रकम की मांग करेगा और न स्वीकार करेगा। किसी नीलाम में भाग लेने वाला कोई व्यौहारी, लाटों में उसके द्वारा क्रय की गई इलायची की सम्पूर्ण मात्रा के लिए पूर्ण मूल्य का संदाय करेगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी, प्ररूप "ङ" में एक रजिस्टर रखेगा।

(4) प्रत्येक व्यौहारी प्ररूप "च" में एक मासिक विवरण इस प्रकार भेजेगा कि वह उसके पश्चातवर्ती मास के दसवें दिन को या उससे पूर्व बोर्ड के पास पहुंच जाए।

(5) जहां कोई व्यौहारी अपना कारबार, अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां अन्तरिती नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा :

(6) जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुए समझी जाएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करते हैं करें तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेंगे।

(7) प्रत्येक व्यौहारी, इलायची व्यौहारी के रूप में अपने कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे जाने वाले सभी लेखाओं, रजिस्टरों अन्य अभिलेखों को बोर्ड, के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(8) व्यौहारी नीलाम में क्रय किए गए इलायची के मूल्य नीलाम की तारीख से 14 दिन के भीतर नीलामकर्ता को संदाय करेगा। अनुबंधित अवधि के भीतर क्रय मूल्य का संदाय न किया जाना इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का अतिक्रमण है।

(9) अनुज्ञप्ति का उत्तरवर्ती 3 वर्षों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा, यदि व्यौहारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने की अवधि के दौरान कारबार के संव्यवहार करने में असफल रहता है या "कोई नहीं" विवरण प्रस्तुत करता है।

प्ररूप "ग"

(प्ररूप ख 1 की शर्त 4 देखिए)

नीलाम रिपोर्ट

(1) रोपक (2) व्यौहारी से प्राप्त इलायची के नीलाम के लिए पृथक रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

गर्म मसाला बोर्ड	अनुज्ञप्ति सं. :	अधिकतम कीमत :	रु.
	ऋतु.	न्यूनतम कीमत :	रु.
	नीलाम सं.	औसत कीमत :	रु.
	नीलाम की तारीख :		

क्रम सं.	रोपक व्यौहारी का पूरा नाम और पता	संपदा रजिस्ट्रीकरण संख्या गर्म मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति सं.	नीलाम के लिए रखी गई मात्रा (कि.ग्रा.)	विक्रय की मात्रा (कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5

प्रति कि.ग्रा. दर रु.	मूल्य रु.	कमीशन रु.	बोली लगाने वाले का पूरा नाम और पता	गर्म मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति सं.	टिप्पण
6	7	8	9	10	11

मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं/हूं कि मैंने/हमने नीलाम में विक्रय की गई इलायची के स्वामियों से, नियमों के अधीन मुझे हमें अनुज्ञात 1% कमीशन से भिन्न कोई पट्टा या कमीशन स्वीकार या प्राप्त नहीं किया है, न ही मैंने/हमने कोई इलायची या कमीशन आगे क्रेताओं को दी है।

नीलामकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप "च"

[प्ररूप ख-1 की शर्त (5) देखिए]

अग्रिम नीलाम रिपोर्ट

नीलामकर्ता का नाम और पता

गर्म मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति सं.

1. ऋतु
2. नीलाम सं.
3. नीलाम की तारीख
4. पूर्ववर्ती नीलामों से अग्रनीत मात्रा (कि. ग्रा.)
5. नई आमद (कि. ग्रा.)
6. नीलाम के लिए रखी गई कुल मात्रा [(कि. ग्रा.) क्रम सं. (4) और (5) की कुल मात्रा]
7. विक्रय की गई कुल मात्रा (कि. ग्रा.)
8. निकाली गई मात्रा (कि. ग्रा.) क्रम सं. (6) (7) ।
9. रोपकों को वापस की गई मात्रा (कि. ग्रा.)
10. नीलामकर्ता के पास अतिशेष (कि. ग्रा.) क्रम सं. (8)—(9)
11. विक्रयों का कुल मूल्य (रु.)
12. अधिकतम कीमत (रु./कि. ग्रा.)
13. न्यूनतम कीमत (रु./कि. ग्रा.)
14. औसत कीमत (रु.कि./ ग्रा)

नीलामकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्ररूप "ड"

(प्ररूप ख-II--देखिए)

अनुज्ञप्ति-प्राप्त व्यौहारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

व्यौहारी का नाम और पता

अनुज्ञप्ति सं.

		क्रय			
क्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे क्रय किया गया	उस व्यक्ति का प्रवर्ग जिससे क्रय किया गया है उदाहरणतया रोपक/नीलामकर्ता	नीलामकर्ता की संपदा की रजिस्ट्रीकरण संख्या/ अनुज्ञप्ति संख्या	मात्रा कि. ग्रा.	मूल्य रु
1	2	3	4	5	6

विक्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे दलायची विक्रय की गई	अन्तरित विक्रय उस व्यक्ति का प्रवर्ग जिसे इलायची विक्रय की गई (उदाहरणतया निर्यातकर्ता उपभोक्ता अन्य)	निर्यात* मात्रा (कि. ग्रा.)	मूल्य रु.	मात्रा कि. ग्रा.	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7

*केवल उन व्यवहारियों को लागू है जिनके पास निर्यातकर्ता की अनुज्ञप्ति है ।

प्रारूप "घ"

(प्रारूप ख-II की शर्त (4) देखिए)

अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यौहारी द्वारा बोर्ड को भेजे जाने वाला मासिक विवरण)

व्यौहारी का नाम और पता:

गर्म मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति सं

मास

क्रय		आन्तरिक विक्रय	
जिससे क्रय किया	मात्रा कि.ग्रा.	मूल्य (रु.)	जिससे विक्रय किया गया
			*निर्यात
			पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)
1. रोपक	1. निर्यातकर्ता		
2. नीलामकर्ता	2. उपभोक्ता		
3. अन्य	3. अन्य		
कुल	कुल	कुल	

1. पिछले मास का अग्रनीत स्टाक (कि. ग्रा.)
2. मास के दौरान क्रय की गई कुल मात्रा (कि. ग्रा.)
3. मास के दौरान आन्तरिक विक्रयों की कुल मात्रा (कि. ग्रा.)
4. मास के दौरान किए गए निर्यात की कुल मात्रा (कि. ग्रा.)
5. मास के अन्त में बन्द स्टाक (कि. ग्रा.)

*केवल उन व्यौहारियों को लागू होगा जिनके पास निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने इलायची के अपने उत्पादक से प्रत्यक्ष: या नीलामकर्ता के माध्यम से कोई कमीशन या बट्टा नहीं स्वीकार किया है।

व्यौहारी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(CARDAMOM CONTROL)

(The Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986, (10 of 1986) and in supersession of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1977, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Spices Board Act, 1986;

(b) 'auctioneer' means a person engaged in the business of conducting cardamom auctions ;

(c) 'Dealer' means a person engaged in the business of purchasing and selling of cardamom but does not include any auctioneer or exporter ;

(d) 'Form' means a form appended to these rules ;

(e) 'Person' means an individual and includes company, firm, society and any other association or body of individuals, whether incorporated or not.

3. Conditions to carry on business in cardamom.— (1) No person shall carry on business as auctioneer or dealer of cardamom except under and in accordance with the terms and conditions of a licence issued under these rules and such other instructions as may be issued, from time to time, by the Board for the development of the cardamom industry.

(2) No producer of cardamom shall sell his produce otherwise than through a Licensed auctioneer or to a dealer licensed to purchase cardamom from producers :

Provided that the Board may, if it is satisfied that to ensure remnuerative returns to growers, it is necessary to route all cardamom through auctions, require producers to sell their produce to the licensed dealers through auctions alone.

4. Licensing of persons to carry on business of cardamom.—(1) Any person desiring to carry on business as auctioner or dealer in any year may apply in Form A to the Board for a licence :

Provided that separate applications shall be necessary where a person desires to be licensed in more than one capacity :

Provided further that separate licence shall be necessary for an auctioneer in respect of each centre if he desires to conduct auctions in more than one centre.

(2) Every application shall be accompanied by a fee of Rs. 100 by a crossed demand draft or postal order drawn payable to the Spices Board at Cochin.

(3) The Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, issue a licence to him in Form B.

5. Renewal of licences.—(1) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his application to the Board accompanied by the fees, and in the manner specified in sub-rule (2) of rule 4 in Form A so as to reach the Board on or before the 30th June of the year in which the licence expires :

Provided that the Board may entertain an application for the renewal of licence up to the date of expiry of the licence on payment of an additional fee of Rs. 25 for the delay of every month or part thereof.

6. Validity of licence.—The licence shall normally be valid for a period of three years :

Provided that the Board may issue a licence for a shorter period for reasons to be recorded in writing.

7. Suspension or cancellation of licence.—(1) If the Board is satisfied that a licensee has violated any of the conditions of the licence or any provision of the Act or rules made thereunder or in general or specific directions issued by the Board or an authorised officer of the Board or that any person to whom licence has been issued under these rules has obtained such licence by fraud or misrepresentation, it may, without prejudice to any other action which may be taken under any other law, after giving a reasonable opportunity to such licensee of being heard and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel such licence by an order in writing.

(2) A copy of the order made under sub-rule (1) shall be communicated to the licensee.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Board refusing to issue or renew a licence or suspending or revoking a licence may, within 60 days from the date of making of such order, appeal to the Central Government.

(2) On receipt of the appeal under sub-rule (1), the Central Government shall after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such order as it may deem fit.

9. Returns to be submitted by licensees.—Every licensee shall from time to time, maintain and submit such registers and returns as may be required under the conditions on which the licence is issued.

[F. N. 7/2|86-EP (Agri. V)]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

FORM–A

[See Rule 4(1) and 5(1)]

Application for issue/renewal of licence as auctioneer/dealer

(1) (a) Name of the Applicant (In Block Letters) (Individual/Firm/Company/Society/Association)

(b) Fresh or renewal. If renewal, give previous year's licence No.

(c) Details of fee remitted

(2) (a) Address in full (Addresses of principal office and branches, if any, should be given)

(b) Telegram, Telex, Telephone, if any

(3) Address in full of the place of storage.

(4) Nature of business (Auctioneer/dealer)

(5) Full name and permanent address of the proprietor/proprietors/partners/directors of the Firm/Company/Society/Association.

(6) Capital invested/financial standing.

(7) Years during which the applicant was in possession of Board's licence.

(8) The following information to be given (as applicable in each case)

AUCTIONEER

(i) Place of auction

(ii) Day/time and frequency of auction

(iii) Financial accommodation, if any, given to growers and successful bidders in auction.

(iv) Storage facilities/location of Godown

(v) Location of Auction Hall

(vi) Facilities for grading of cardamom, if any

(vii) Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding three licensing years. (September-August)

(Year) (September—August)	Quantity (Kgs.)
19 .... 19....	
19 .... 19	
19 .... 19	

DEALER

(i) Source of purchase of cardamom (from planter or at auctions)

(ii) Storage facilities

(iii) Is cardamom fumigated against infestation during storage

(iv) Maximum and minimum quantity purchased and sold in any one transaction during the last year

(v) Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three Licensing Years

Year	Purchase		Sales	
(Sept.–August)	Qty (kgs.)	Value (Rs.)	Qty (kgs.)	Value (Rs.)
19.... 19....				
19.... 19....				
19.... 19....				

Declaration

I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/we shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and any instruction given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature of the

Date: Applicant or Applicants

Note:–(1) Separate application shall be made by a person for each category of business as auctioneer or dealer.

(2) Application not accompanied with the prescribed fee will not be entertained.

FORM–B

(See Rule 4 (3)

I. LICENCE AS AUCTIONEER

(Not Transferable)

Licence No. ....

Smt./Shri/Messers. ....
is/are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at............................
subject to the conditions specified hereunder.

The licence is valid upto the 31st day of August 19......

Place: Signature of the Secretary

Date:

SEAL

Conditions:

The auctioneer shall conduct the auction at a place on a day and time specified by the Board.

(1) The auctioneer shall draw 500 grammes out of each lot of cardamom offered for sale as sample expose 350 grammes out of it for bidders to examine the same at the place of auction four hours before the commencement of the auction and circulate a list indicating the quantity of each lot, weight in grammes per litre and the reserve price. A copy of the list shall be sent to the Board. 100 grammes of the sample shall be given to the highest bidder and the balance of 50 grammes shall be kept by the auctioneer in a sealed polythene bag for a period of seven days for verification in case of any dispute. On expiry of the said period or on settlement of the dispute, as the case may be, the owner, of the cardamom shall be entitled to receive back the cardamom remaining from the sample drawn by the auctioneer.

(2) (a) The auctioneer shall not charge more than one per cent of the sale price as commission for the services rendered by him.

(b) The auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or payment in cash or in kind from owners who bring their cardamom for auction over and above the one per cent commission due to him. The auctioneer shall ensure that the owner gets his value for the entire quantity of cardamom sold in the auction.

(3) The auctioneer shall maintain a register in Form 'C'.

(4) The auctioneer shall send to the Board an extract of the register maintained in Form C within seven days from the date of auction.

(5) The auctioneer will send an advance report of the auction on the next day of auction in Form D.

(6) The auctioneer shall not negotiate sale of cardamom with an estate owner who has not registered his estate or dealer who is not licensed by the Board.

(7) Where an auctioneer transfers his business to another person, the transferee shall obtain a fresh licence under the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(8) Where a licensee dies, the original licence shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to be heirs of the deceased, the heir or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.

(9) Every licensee shall produce, on demand for inspection by any officer of the Board authroised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as an auctioneer.

(10) Auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within 14 days from date of auction and shall pay the growers within 21 days from date of auction. The information regarding dues to growers and from traders shall be furnished to the Board in respect of each auction.

(11) The auctioneers may keep any unclaimed amount by the growers in a separate account in the Bank and details intimated to the Board in respect of each auction. Non-payment of dues to growers within the stipulated period without satisfactory reasons is violation of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

II. LICENCE AS DEALER

(Not Transferable)

Licence No. ....

Shri/Smt./Messers ....

....

is/are hereby authorised to purchase cardamom in auction/purchase cardamom directly from producer subject to the conditions specified hereunder.

This licence is valid upto the 31st day of August 19........

1. .... Signature of the Secretary

....

Place: ....

Date: ....

SEAL

Conditions:

(1) The dealer shall not purchase cardamom from an estate owner who has not registered his estate from an auctioneer who has not been licensed by the Board.

No dealer shall solicit or accept any amount in cash or kind from cardamom producers or auctioneers, whether by way of discount or commission. A dealer participating in an auction shall pay full value for the entire quantity of cardamom in the loss purchased by him.

(3) Every dealer shall maintain a register in form E.

(4) Every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month.

(5) Where the dealer transfers his business to another person the transferee shall obtain a fresh licence.

(6) Where a licensee dies, the original license shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to the heirs of the deceased the heirs or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.

(7) Every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom dealer.

(8) The dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased in respect of an auction within 14 days time from the date of auction. Non payment of the purchase value within the stipulated period is violation of Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(9) The licence will not be renewed for succeeding period of three years if the dealer fails to transact any business or submit 'Nil' returns during the period of holding a valid licence.

FORM C

(See condition (4) of Form B1)

Auction Report

[Separate report should be furnished for auctioning of Cardamom received from (i) Planter (2) Dealer]

Spices Board Licence No. Season: Maximum Price : Rs.

Auction No. : Minimum Price : Rs.

Date of Auction : Average Price : Rs.

Sl. No.	Name Full address of Planter/ Dealer	Estate Reg. No. Spices Board Licence No.	Qty. put for auction (kgs.)	Qty. sold (kgs.)	Rate per Kg. (Rs.)	Value (Rs.)	Commission (Rs.)	Name & full address of the bidder	Spices Board. Licence No.	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

I/We confirm that no discount or commission other than the 1% commission permitted to me/us by the Rules has been accepted by me/us or received from the owners of cardamom sold in the auction nor have I/We passed on any cardamom or commission to the purchasers.

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

FORM–D

(See Condition (5) of Form B-I)

ADVANCE AUCTION REPORT

Name and Address of the Auctioneer Spices Board's Licence Number:

1. Season:
2. Auction Number:
3. Date of Auction:
4. Quantity carried over from previous Auction (Kgs.)
5. Fresh Arrivals (Kgs.):
6. Total quantity put for Auction (Kgs.)
   (Total of Sl. No. 4 & 5)
7. Total quantity sold (Kgs.):
8. Quantity withdrawn (Kg.):
   Sl. No. (6)—(7)
9. Quantity returned to Planters (Kgs.)
10. Balance with the Auctioneer (Kgs.)
    Sl. No. (8)-(9)
11. Total value of the sales (Rs.)
12. Maximum Price (Rs./Kg.)
13. Minimum Price (Rs./Kg.)
14. Average Price (Rs./Kg.)

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

1675 GI/86—4

FORM E

(See Form B II)

(Form of the Register to be maintained by Licensed Dealer)

Name and Address of the Dealer:

Licence No. Month:

PURCHASES

Date of Purchase	Name and address of the person from whom purchase is made	Category of the person from whom purchase is made (Viz. Planter/Auctioner)
1	2	3

Registration No. of the Estate/ Licence No. of Auctioneer	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)
4	5	6

INTERNAL SALES		
Date of Sale	Name and Address of the person to whom cardamom is sold	Category of the person to whom cardamom is sold (viz. Exporters/Consumers, others)
1	2	3

INTERNAL SALES		EXPORTS*	
Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	FOB Value
4	5	6	7

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

FORM–F

[See Condition (4) of Form B-II]

(Monthly statement to be sent to the Board by Licensed Dealer)

Name and address of the Dealer:

Spices Board's Licence No. Month:

PURCHASES			INTERNAL SALES
Purchases from	Quantity (Kg.)	Value (Rs.)	Sold To

EXPORTS*

F.O.B.

Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)

1. Planters	1. Exporters
2. Auctioneers	2. Consumers
3. Others	3. Others
Total	Total

1. Carry over stock from last month (Kgs.)
2. Total quantity of purchase during the month
3. Total quantity of internal sales during the month (Kgs.)
4. Total quantity of exports during the month (Kgs.)
5. Closing stock at the end of the month (Kgs.)

* Applicable only to dealers who are having Certificate of Registration as exporter

I/We confirm that I/we have not accepted any commission or discount from any producer of Cardamom directly or through the auctioneer.

Signature of the Dealer

Place :

Date :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987